

08.02.18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में बार-बार
आवाज दिलाई गई लेकिन वाही एवं प्रतिवादीगण
असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं आये। अतः
वाह वाही एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण
अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किये
जाते हैं।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम
हो एवं बाद तकमील जमा जिला इन्फिरेबल
हो। (13)

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी